

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

लक्ष्मी (इण्डिया) फिनलीजकेप बनाम ताराचन्द रैगर

प्रकरण संख्या : 378/2023 ( धारा 14 सिव्योरिटाईजेशन एक्ट )

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
04.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुये नोट प्रेस किया है।</p> <p>अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002 के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">प्र जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	<p>Not press by OL मुक्तिशाम 4-7-23</p>